

प्रेषक,

डा० रोशन जैकब,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

विषय:- जनपद आगरा में एन०एच०-2 से एन०एच०-3 को जोड़ने हेतु रूकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर ईदगाह-बयाना रेल सेक्शन में रेलवे कि०मी० 73/7-8 के रेल समपार सं०-68बी/2ई पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ का पत्र सं०-948//प्रा०आगणन-आगरा/सेतु-6/15, दिनांक 04-10-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद आगरा में एन०एच०-2 से एन०एच०-3 को जोड़ने हेतु रूकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर ईदगाह-बयाना रेल सेक्शन में रेलवे कि०मी० 73/7-8 के रेल समपार सं०-68बी/2ई पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण की आंकलित लागत रु० 7086.24 लाख (रुपये सत्तर करोड़ छियासी लाख चौबीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष रु० 1156.00 लाख (रुपया ग्यारह करोड़ छप्पन लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अनुदान सं०-57 का अंश	अनुदान सं०-83 का अंश	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	जनपद आगरा में एन०एच०-2 से एन०एच०-3 को जोड़ने हेतु रूकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर ईदगाह-बयाना रेल सेक्शन में रेलवे कि०मी० 73/7-8 के रेल समपार सं०-68बी/2ई पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु।	7086.24	911.00	245.00	1156.00

(1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कार्य पूर्व से किसी भी विभाग द्वारा किसी अन्य योजना में स्वीकृत तो नहीं है।

2/-

(Anoop M.L. Sharma)
Junior Engineer:
B.C.U., Agra

(Sageer Ahmad Khan)
Assistant Engineer (C)
Bridge Construction Unit, Agra

Vikram Singh
Dy. Project Manager
Bridge Construction Unit, Agra

(2)

- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
- (4) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में न रखी जाय।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (8) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
- (9) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। फ्लाई ओवर की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, आर0ई0 वाल एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (10) प्रायोजना के सम्बन्ध में समस्त वैधानिक अनापत्तियाँ तथा वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति सक्षम वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (11) प्रायोजना का निर्माण कार्य ताज ट्रिपोजियम क्षेत्र में कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः इस क्षेत्र में निर्माण कराये जाने से पूर्व मा0 उच्च/मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अन्य सम्बन्धित संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (12) प्रायोजना प्रस्ताव पर ताज प्रोटेक्शन मिशन बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (13) प्रायोजना में वन विभाग को देय धनराशि का कार्य प्रस्तावित किया गया है। अतः इन कार्यों का विस्तृत आगणन गठित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।
- (14) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। भूमि का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (15) प्रायोजनान्तर्गत सर्विसेज शिफ्टिंग यथर्विप्लुत, टेलीफोन, वन एवं जल निगम के सम्बन्ध में सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- (16) सेन्टेज चार्ज की धनराशि कार्यदायी संस्था/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 को देय होगी।
- (17) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- (18) मूल्य हास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

Anoop M.L. Sharma
Junior Engineer (S) (C)
B.C.U., Agra

Sajjad Ahmad Khan
Assistant Engineer (C)
Bridge Construction Unit, Agra

Vikram Singh
Dy. Project Manager
Bridge Construction Unit, Agra

(3)

(16) विषयगत रेल उपरिगामी सेतु निर्माण की लागत के सापेक्ष अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए रेलवे अंश की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त की जायेगी।

(17) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-57 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-05-रेलवे उपरिगामी सेतु-0517-रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं०-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-19-रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2016बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 के प्राविधानों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस०पी०/ टी०एस०पी० हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू०ओ०-ई-8-3173/दस-16, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(डा० रोशन जैकब)

विशेष सचिव।

संख्या-372/2016/267(1)/23-11-2016-1/2(179)/2016-तदु दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/ द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 3- मण्डलायुक्त./जिलाधिकारी, आगरा।
- 4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, आगरा।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (पुल), उत्तर रेलवे, नई दिल्ली।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 9- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु०-8, उ०प्र० शासन।
- 10- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
- 11- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 12- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 13- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 14- निजी सचिव, मा० मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०।
- 15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(Sageer Ahmad Khan)
Assistant Engineer (C)
Bridge Construction Unit, Agra

(डा० रोशन जैकब)
विशेष सचिव।

(Anoop M.L. Sharma)
Junior Engineer
B.C.U., Agra

Vikram Singh
Dy. Project Manager
Bridge Construction Unit, Agra